

भारतीय रिज़र्व बैंक

विनियमन विभाग, कोलकाता

RESERVE BANK OF INDIA
Department of Regulation, KOLKATA



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या बी-05.06096

No. B-05.06096

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओलीविया ग्रामीण क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड [पूर्व: श्री गणेश स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड] को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार ~~आरम्भ~~ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

OLEEVIA GRAMEEN CREDITS PRIVATE LIMITED [Formerly: SHREE GANESH STOCK PRIVATE LIMITED]

is hereby granted

Certificate of Registration

to ~~OLEEVIA GRAMEEN CREDITS PRIVATE LIMITED~~ / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

में कोलकाता से दो हजार पच्चीस के मार्च की अठाईस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at KOLKATA

this Twenty-eighth day of March Two Thousand Twenty Five

in lieu of the earlier Certificate Number B-05.06096 issued to erstwhile Shree Ganesh Stock Private Limited on 30.01.2004



(प्रोविन कामी / Provin Kami)

महाप्रबंधक / ~~उप महाप्रबंधक~~

General Manager / Deputy General Manager